[28/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 2449] प्रश्नभाग (क) का परिशिष्ट "एक"

अतारांकित वि०स० प्रश्न क्र० - 2449

विषय - (जिला चिकित्सालय राजगढ़ में प्रसूति महिलाओं को लाने व छोड़ने की स्थिति के संबंध में)

28-07-2017

प्रश्नकर्ता – श्री अमर सिंह यादव

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति,जिला राजगढ़ (म0प्र0) 465661

क्र./एनआरएचएम/2016/ 189 राजगढ़ दिनांक 5/1/16

आदेश

जिला राजगढ़ अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं पर जननी एक्सप्रेस वाहनों का कॉल सेन्टर के माध्यम से संचालन किये जाने हेतु न्यूनतम निविदा कार मेसर्स श्री जसवंत ठाकुर ट्रेवल्स एजेन्सी ग्राम धामन्दा तह.सारंगपुर जिला राजगढ को निम्न तालिका में वर्णित वाहन को अनुबंध में उल्लेखित शर्तों एवं निम्न शर्तों के अधीन संचालित करने हेतु आदेशित किया जाता हैं ।

क्र	मेसर्स का नाम	वाहन	निर्धारित हेडक्वार्टर/ पंजीयन		निर्धारित दर
01	श्री जसवंत ठाकुर ट्रेवल्स एजेन्सी,ग्राम धामन्दा तहसील सारंगपुर जिला राजगढ	5 Vehicle Taxi (Bolero)	1- Narsingharh	MP04-TA-6923	रू. 13.29 प्रति किमी जी.पी.एस.के आधार पर
			2-Khilchipur	MP39-T-0832	
			3-Rajgarh -1	MP37-T-0768	
			4-Rajgarh -2	MP39-T-0830	
			5-Rajgarh -3	MP39-T-0833	

1. निविदाकार को उक्त तालिका में उल्लेखित वाहन को उसके नाम के सम्मुख अंकित स्वास्थ्य संस्था पर ही 24 घण्टे रखना अनिवार्य होगा ।
2. वाहनों का जी.पी.एस. पर आधारित किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जावेगा, उक्त भुगतान के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
3. वाहनो के संचालन में हितग्राहियों से किसी भी प्रकार की कोई भी राशि की मांग किये जाने या मांग किये जाने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर प्रावधानुसार /समिति के निर्णय अनुरूप वसूली की कार्यवाही की जावेगी । संस्था से हितग्राहियों को निर्धारित अवधि में लाये एवं ले जाने में किये गये विलम्ब / न लाने पर अनुबंध की शर्तो अनुरूप अर्थदण्ड की जवाबदारी निविदाकार की होगी ।
4. वाहन का मासिक भुगतान संबंधित संस्था प्रभारी द्वारा उनकी संस्था से भेजे/लाये गये एवं कॉल सेंटर से रेफर हितग्राहियों का सत्यापन उपरान्त GPS लाग बुक के आधार पर ही किया जावेगा ।
5. उक्त तालिका में अंकित वाहन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था पर ही उपयोग किया जावेगा, उल्लेखित वाहन के स्थान पर अन्य वाहन का उपयोग पाये जाने पर अनुबंध तत्काल समाप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, वाहन में आवश्यक दुरूस्ती हेतु वाहन बदले जाने सम्बन्धी अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही वाहन को दुरूस्ती/दुर्घटना अवधि तक के लिये बदला जावेगा किन्तु अनुबंधित वाहन के स्थान पर लगाये गये वाहन पर उक्त पूर्ण शर्ते लागू होगी ।
6. बिना अनुमति के उक्त तालिका में उल्लेखित वाहन के बदले में संचालित वाहनों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी । वाहन के सामान्य रखरखाव हेतु वाहन का उपयोग किये जाने सम्बन्धी पूर्ण विवरण लॉगबुक में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा उक्त यात्रा/कार्य में उपयोग किये गये किलोमीटर का जी.पी.एस. रिकार्डिग से सत्यापन किया जावेगा।
7. वाहन की लागबुक का सत्यापन प्रतिदिन संस्था प्रभारी/प्रसव कक्ष के प्रभारी अधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा ।
8. अनुबंधित वाहनों का जी.पी.एस. निरन्तर क्रियाशील रहना आवश्यक होगा, जो कि भुगतान के समय आवश्यकता पड़ने पर माह का पूर्ण विवरण लिया जावेगा। जी.पी.एस.बंद पाये जाने की स्थिति में उक्त माह का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं निविदा फार्म में अंकितानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी ।
9. अनुबंधित वाहनो मे लगाये गये जी.पी.एस. स्टेण्डर्ड कम्पनी का लगाया जाना अनिवार्य होगा, जी.पी.एस. का ऑनलाईन रिकार्ड न्यूनतम 06 माह का होना अनिवार्य रहेगा । जी.पी.एस. लॉगबुक (ट्रेवलिंग रिपोर्ट) में पूर्ण विवरण (की गई यात्रा का स्थान सहित) ऑनलाईन से निकाला जाकर भुगतान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. उक्त शर्तो के अतिरिक्त राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लिये गये निर्णय का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
11. यह आदेश दिनांक 06.01.2016 से प्रभावशील होगा।

सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
जिला राजगढ़

Attested

उप संचालक, एनआरएचएम
मध्यप्रदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

प्रश्नभाग (ग) का परिशिष्ट "दो"

विधानसभा प्रश्न क्र.–2449 (अतारांकित)

28-07-2017

विषयः– जिला चिकित्सालय राजगढ़ में प्रसूति महिलाओं को लाने व छोड़ने की स्थिति के संबंध में।

प्रश्नकर्ताः– श्री अमर सिंह यादव

जननी एक्सप्रेस वाहन भुगतान विवरण वर्ष 2015–16 एवं 2016–17

01. एजेन्सी का नाम :– जसवन्त ठाकुर ट्रेवल एजेन्सी राजगढ

		वाहन क्र एवं माहवार भुगतान राशि रूपए में			
क्रं.	माह का नाम	MP 39 T 0830	MP 39 T 0833	MP 37 T 0785 & MP 37 T 0768	
1	अप्रेल 2015	रू. 84317/–	रू.45187/–	रू.79200/–	MP 37 T0785 अप्रैल–2015 से दिसंबर–2015 तक
2	मई 2015	रू. 102636/–	रू.65907/–	रू.72557/–	
3	जून 2015	रू. 78822/–	रू.73698/–	रू.70310/–	
4	जुलाई 2015	रू. 79067/–	रू.78829/–	रू.70142/–	
5	अगस्त 2015	रू. 67892/–	रू.65907/–	रू.77583/–	
6	सितम्बर 2015	रू. 61714/–	रू.53104/–	रू.63821/–	
7	अक्टूबर 2015	रू. 78773/–	रू.64122/–	रू.74216/–	
8	नवम्बर 2015	रू.78332/–	रू.70709/–	रू.86711/–	
9	दिसम्बर 2015	रू. 13595/–	रू.12097/–	रू.11726/–	
10	जनवरी 2016	रू. 120061/–	रू.86610/–	रू.85507/–	MP 37 T0768 वाहन जनवरी–2016 से MP 37 T0785 के स्थान पर लगाया गया
11	फरवरी 2016	रू. 100379/–	रू.97747/–	रू.93561/–	
12	मार्च 2016	रू. 140519/–	रू.124102/–	रू.113403/–	
13	अप्रेल 2016	रू. 131889/–	रू.110001/–	रू.118668/–	
14	मई 2016	रू. 157313/–	रू.164782/–	रू.122600/–	
15	जून 2016	रू.169620/–	रू.121138/–	रू.123091/–	
16	जुलाई 2016	रू.163028/–	रू.133939/–	रू.133936/–	
17	अगस्त 2016	रू.156742/–	रू.132713/–	रू.146562/–	
18	सितम्बर 2016	रू.126946/–	रू.130906/–	रू.109656/–	
19	अक्टूबर 2016	रू.147625/–	रू.117856/–	रू.115065/–	
20	नवम्बर 2016	रू.124660/–	रू.134269/–	रू.129205/–	
21	दिसम्बर 2016	रू.158430/–	रू.129764/–	रू.150070/–	
22	जनवरी 2017	रू.133764/–	रू.129710/–	रू.140914/–	
23	फरवरी 2017	रू.174099/–	रू.118148/–	रू.134229/–	
24	मार्च 2017	भुगतान करना शेष			

उप संचालक, एनआरएचएम